

जिलाधिकारी

मुरादाबाद।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003 को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने एवं जनपद की जनता एवं युवा वर्ग को सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों से होने वाले दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाने हेतु अधिनियम के अनुसार सचल दल का गठन आपके द्वारा किया जा चुका है। (पताका-1) महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या - टोबैको सेल/2013/295 दिनांक 15/अक्तूबर/2013 के क्रम में (पताका-2) सचल दल में अध्यक्ष पद हेतु जिला प्रशासन से एक अधिकारी नामित किया जाना है।

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	सचल दल में स्थान
1.	ADM Lt & ADM E	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक SP Lt / SP RA	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी एन.टी.सी.पी. मुरादाबाद	सदस्य सचिव
4.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
5.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी	सदस्य
7.	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
8.	वाणिज्य कर अधिकारी (G.S.T.)	सदस्य
9.	जिला शासकिय अधिवक्ता/सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	जनपद सलाहकार एन.टी.सी.पी. मुरादाबाद	सदस्य

अतः महोदय से अनुरोध है की कृपया सहमति की दशा में उपरोक्त गठित समिति में संशोधन कर क्रम संख्या 1 पर जिला प्रशासन से एक अधिकारी को अध्यक्ष पद हेतु नामित करना चाहें।

दिनांक - 21-12-17

(डा.रंजन गुप्त)
नोडल अधिकारी
एन.टी.सी.पी.
मुरादाबाद

(डा.विनीता अग्निहोत्री)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुरादाबाद

आपकी / अधिकांश
- अनुमोदित प्रतीक दिशा
- 22/06/2017 को गठित समिति
- निम्नलिखित प्रतीक है।
- अधिकारिता दल

28/11/2017